# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सीओए/6004/चयन/2018 दिनांक–17.09.2018 द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **समाजशास्त्र** के पद पर चयन वर्ष 2018–19 हेतु नियमित एवं रिव्यु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के नियम 25 के उप नियम 11 बी के अन्तर्गत जारी निर्मित रिव्यु एवं रिवीजन सूची में सम्मिलित संलग्न सूची मे विवरणांकित कार्मिको को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **समाजशास्त्र** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स वेतन लेवल 12 में आगामी चयन वर्ष की अंतिम तिथि अथवा आगामी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने तक, इनमे से जो भी पहले हो, तक की अवधि हेतु अस्थायी पदोन्नति की जाकर इन्हें इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **समाजशास्त्र** के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नही कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक:

/09/2018 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक– /09/2018 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगें। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक– /09/2018 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेवें की जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदौन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नही हुई हो। अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगां।

**(नथमल डिडेल)**
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/**समाजशास्त्र/**रिव्यू डीपीसी–डीपीसी/2018–19/2018 दिनांक– 19-9-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) ..... को सूचनार्थ ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होगें।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शिविरा–मा / माध्य / संस्था / सी–5 / समाजशास्त्र / डीपीसी–2018–19 / आर0आर0 / 2018 दिनांक

| क्रसं | स्थाई वरिष्ठता सूची का क्रमांक | | वरिष्ठता अवधि | नाम लोक सेवक | वर्ग | जन्मतिथि | कार्यरत स्थान (राउप्रावि / रामावि / राउमावि) | पदोन्नती पर पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि) | जिला |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | | 1997-1998 | SHASHI GUPTA SR.TEACHER | | 12-06-1973 | BORDA, JHALAWR | GOVT. ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL BORDA (08320257102) | JHALAWAR |

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर